

**कार्यालय,  
राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ- दिनांक: 30/08/2022

**कार्यालय ज्ञापन**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2022-23 हेतु टिप्लोमा राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवंटित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व में संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मटी पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

**संस्था का कोड एवं नाम : 4091-S.N COLLEGE OF PHARMACY**

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एउआईसीटीईई/पीसीआईई द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था एउआईसीटीईई/पीसीआईई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1962, विनियमावली 2000, सेनेटर विनियमावली 2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इन्जी. पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्रछात्रा से ज्ञापन किये जायेंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रछात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सचिव द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनदेश प्रभावी होंगे, और उद्गुसन काय्यवाही किये जस्त आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में स्तुका प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनदेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिनियमों/अधिनियमों/शासनदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ.प्र., संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ.प्र. तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से अनुमोदन निरस्त किया जात है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्रविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई कदम दाखल किया जात है तथा दाखल कदम के संबंध में मा. महापालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जात है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तकनीक द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु अपेक्षित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर) प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण विधियों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, सत्र-सत्र, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जात है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औपचारिक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सत्र-सत्र का ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जात है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(एफ0आर0 खान)

सचिव

ए0सं0- प्राधिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिरिति-

प्रधानाचार्य/निदेशक, S.N.COLLEGE OF PHARMACY



(एफ0आर0 खान)

सचिव

**कार्यालय,  
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- इतिहास/परिषद सम्बद्धता/2020/3871

लखनऊ दिनांक: 15-8-2020

**-कार्यालय ज्ञापन-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पार्वती कान्ठिलाल उद्योग इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा वित्तिक सत्र 2020-21 हेतु विधेयक सार्वभौमिक तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुसूचन प्रदान किए जाने की उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु जर्मिण्डा नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धता संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य नयी या विद्यमान कालेज हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मर-3 में निर्देशना इन कालेजी पाठ्यक्रम सम्बद्धता करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महान विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

" निम्नी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संभालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठसीआईओ द्वारा उन्हें स्थायक अनुसूचन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुसूचन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्बन्धि से पीठसीआईओ द्वारा प्रदत्त अनुसूचन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिव्य जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को अखिल सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये प्रस्तावना निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित सत्रों के अतीत पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं. संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	वित्तिक/पूर्व से सम्बद्धता/अनुसूचन प्रवेश क्षमता	वित्तिक/पूर्व से सम्बद्धता/अनुसूचन प्रवेश क्षमता
1	बनारस एम्प्लॉयमेंट ऑरिएण्टेड कॉलेज फार्मेसी, कान्ठिलाल, लखनऊ	डिप्लोमा इन फार्मेसी	अनुसूचन प्रवेश क्षमता	अनुसूचन प्रवेश क्षमता

**सम्बद्धता हेतु सूची**

- ✓ संस्था एडवार्ड्स/पिठसीआईओ/पीठसीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी सत्रों का पूर्णतः प्रदान करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, संशोधन विनियमवली-2018 तथा ज्ञापन निर्णय 15/08/2020 के अनुसार सभी सत्र शुल्क निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित शुल्क सत्र वरीय हेतु/वित्तिक/पूर्व से सम्बद्धता हेतु ₹ 26,100.00/- (द्वितीय, जो वरीय कालेजी पाठ्यक्रम हेतु ₹ 44,000.00/- द्वितीय एवं एक तथा दो वरीय पाठ्यक्रमों (दो वरीय कालेजी पाठ्यक्रमों में द्वितीय) हेतु ₹ 22,000.

*(Handwritten Signature)*



**कार्योत्पन्न**

**उत्तर प्रदेश पब्लिक शिक्षा परिषद**

**उत्तर प्रदेश महानिदेशक**

संख्या:- प्राथिप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

संज्ञक: दिनांक: 09/08/2021

**कार्योत्पन्न नाम:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालयी कार्यान्वितन अधीन इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपायत प्राथिमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश महानिदेशक से सम्बद्धता-सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 09/08/2021 को परिषद कार्योत्पन्न से सम्बद्धत समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आर्गेंटिन नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संघर्षित संस्थाओं को सम्बद्धत विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धत समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथिमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश महानिदेशक द्वारा सत्र 2021-22 हेतु नियुक्तित सत्री के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश समय हेतु सम्बद्धत विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का बौध एवं नाम : 4091-S.N. COLLEGE OF PHARMACY,VILL-BABUPUR,KOHADE  
SULTANPUR,LAKHAUVA BAZAR FATEHGANJ,JAUNPUR-222132

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0ओसी0टी0ई0पी0सी0आइ0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश समयता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश समयता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आइ0ओसी0टी0ई0पी0सी0आइ0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथिमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथिमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य विहित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तैय करवाए जायेगा। पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यालयी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यालयी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही सर्वोच्च प्राथमिकता से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रछात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सहूलत द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रकाशित होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाय आवश्यक होगा। किरा मिचोला समिति द्वारा बटि सत्र 2021-22 हेतु किरा का पुनर्निर्धारण किया जाय है, तो किरा की नवीनताम दो सत्रों होगी।
- ✓ संस्था को (3090) प्राथिमिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किये जाय। विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। शीटों के वित्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर नियत शकलदोष के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धत शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आइ0ओसी0टी0ई0पी0सी0आइ0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाय आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कब-कब गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथिमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राथिमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बताये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का

वास्तव करने के लिये कार्य हो।

- ✓ विप्लोमा इन नर्सरी पाठ्यक्रम की संस्था यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संस्था में समस्त उल्लेखित संस्था का होना और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्रविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बंध टाकर किया जाता है तथा टाकर बंध के संस्था से ना. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त दायित्व संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विप्लोमा इन नर्सरी पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश गवर्नर द्वारा आवेदन वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कन्डिशनिंग प्राप्त होने के पूर्व पी.सी.आई. से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद सर्वोच्च को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कन्डिशनिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सौंपे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत सर्वोच्च आरक्षण शिघ्रता का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवृत्ति शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण प्रविक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेडिंग रीक्रे के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराई होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निदेशन समिति के समस्त उपलब्ध बचाने गये अतिरिक्त, भूमि-सवल, कर्मचार, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त कर प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्नातकीय निरीक्षण टाकर यदि संस्था में भूमि, सवल, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा पी.सी.आई. पी.सी.आई. परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता हाई कर अनुपालन न किये जाने अथवा हाई कर उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निवसनुसार अनुसन्धानमय करवाई की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

रजिष्टर

पृष्ठ सं- प्रविधिक/परीषद सम्बद्धता/2021/3538-4889

दिनांक: 06/08/2021

प्रतिनिधि-

रजिष्टर/प्रविधिक, S.N. COLLEGE OF PHARMACY, VILL-BABUPUR, KOHADE SULTANPUR, LAKHAUVA BAZAR FATEHGANJ, JAUNPUR-222132

(सुनील कुमार सोनकर)

रजिष्टर